मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रश्नकाल

(13वीं विधान सभा के 10वें सत्र जुलाई, 2011 के प्रश्नकाल का विश्लेषण)

मध्यप्रदेश सोशल वॉच रिपोर्ट–2013

विश्लेषण एवं लेखन

राजु कुमार

नेशनल सोशल वॉच

सोशल वॉच, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रश्नकाल

(13वीं विधान सभा के 10वें सत्र जुलाई, 2011 के प्रश्नकाल का विश्लेषण)

मध्यप्रदेश सोशल वॉच रिपोर्ट–2013

सलाहकार

प्रो. दविन्दर कौर उप्पल

डॉ. योगेश कुमार

विश्लेषण एवं लेखन

राजु कुमार

सहयोग

विशाल नायक

सहयोग

नेशनल सोशल वॉच

आर – 10, ग्राउंड लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन

नई दिल्ली – 110016, भारत

फोन – 011–41644576

ई.मेल – info@socialwatchindia.net

वेबसाइट – www.socialwatchindia.net

प्रकाशक

नेशनल सोशल वॉच

एवं

सोशल वॉच, मध्यप्रदेश

36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, भोपाल – 462016, मध्यप्रदेश, भारत

फोन – 0755–2467625

ई.मेल – info@samarthan.org

वेबसाइट – www. samarthan.org

मुद्रण – लीला ग्राफिक्स, एम.पी. नगर, भोपाल

भूमिका

नेशनल सोशल वॉच राष्ट्रीय स्तर पर स्वैच्छिक संगठनों, समुदायों एवं नागरिकों का एक व्यापक नेटवर्क है, जो जनहित एवं सामाजिक विकास के लिए राज्य द्वारा किए जा रहे कार्यों का सामाजिक निगरानी करता है एवं उस पर अपनी रिपोर्ट जारी कर उसे व्यापक समूह के बीच विमर्श के लिए ले जाता है। यह कार्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को अर्थपूर्ण एवं सहभागी बनाने का हिस्सा है। नेशनल सोशल वॉच की तरह ही कई राज्यों में राज्य स्तर पर सोशल वॉच का गठन किया गया है।

लोकतंत्र के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का संवैधानिक दायित्व है कि उनकी नीतियां, कार्य एवं निर्णय व्यापक जनहित में समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय पर आधारित हो। राज्य ने कई ऐसे वायदे किए हैं एवं नीतियां बनाई है, जो वंचित समुदाय को उनकी वर्तमान स्थिति से बाहर लाने के लिए जरूरी है। नागरिक समाज का यह विशेष दायित्व है कि वह इस बात की सामाजिक निगरानी करें कि राज्य द्वारा किए गए उसके वायदे, उसकी नीतियां, उसके कार्य, निर्णय इस दिशा में है या नहीं। वह जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के सामने अपनी बात रखकर लोगों के हित में निर्णय और पुनर्निर्णय लेने के लिए पैरवी और संवाद करें।

सोशल वॉच का कार्य सीधे हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों पर आधारित प्रतिवेदन तैयार करना, संवाद पत्रों का प्रकाशन करना, संगोष्ठी और बैठकों का आयोजन करना एवं इनके माध्यम से तथ्यों को व्यापक समाज के दायरे में लाना है। नेशनल सोशल वॉच द्वारा पिछले एक दशक से सुशासन एवं विकास के विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय एवं राज्यों के स्तर पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती रही है। नेशनल सोशल वॉच के माध्यम से संसद एवं अन्य राज्यों के विधान मंडल के सत्रों का विश्लेषण किया जाता रहा है।

मध्यप्रदेश में इस बार सामाजिक निगरानी के तहत अध्ययन के लिए प्रश्नकाल को लिया गया है। प्रश्नकाल में उठाए गए मुद्दों पर सवाल जवाब में संबंधित मंत्री उस पर सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हैं और समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की घोषणा करते हैं। प्रश्नकाल में जनप्रतिनिधि अपने–अपने क्षेत्रों की समस्याओं, राज्य की नीतियों–नियमों को बनाने एवं उसमें संशोधन करने की मांग, व्यवस्थागत मांग, विकास से जुड़े कार्यों की स्थिति, भ्रष्टाचार आदि से जुड़े मामले को प्रश्नों के माध्यम से सरकार के समक्ष लाते हैं। प्रश्नकाल के विश्लेषण से यह पता चलता है कि अपने प्रश्नों में जन प्रतिनिधि किस तरह के मुद्दों को उठाते हैं। विधायिका के प्रति कार्यपालिका जवाबदेह होती है एवं जनता अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से विधायिका में भागीदारी करती है।

प्रश्नकाल में उठाए गए प्रश्नों की स्थिति एवं उससे जुड़े अन्य पहलुओं को देखकर जनप्रतिनिधि की विधायिका में भागीदारी को रेखांकित किया जा सकता है। इसके साथ ही कई अन्य पहलुओं को समझने में भी इस अध्ययन से आसानी होगी। प्रतिवेदन के लिए शासकीय दस्तावेजों से आंकड़ें एवं तथ्य लिए गए हैं और संदर्भ के लिए विधानसभा की कार्यवाही, संचालन एवं नियमों पर लिखे गए पुस्तकों का सहारा लिया गया है।

प्रतिवेदन को तैयार करने में नेशनल सोशल वॉच के सदस्यों, समर्थन के कार्यकारी निदेशक डॉ. योगेश कुमार एवं सोशल वॉच, मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ की समन्वयक प्रो. दविन्दर कौर उप्पल के विशेष प्रयासों के लिए सोशल वॉच, मध्यप्रदेश आभारी है।

सोशल वॉच, मध्यप्रदेश
समूह की ओर से

आमुख

प्रश्नोत्तर काल संसदीय लोकतंत्र की आत्मा है। संसदीय कार्यप्रणाली का यह एक ऐसा हिस्सा है जिसका उपयोग सांसद या विधायक मंत्रियों के कान खींचने के लिये करते हैं। जो मंत्री प्रश्नकाल में जितनी मुस्तैदी से उत्तर देता है, उसे संसदीय प्रणाली में उतना ही पारंगत माना जाता है। वैसे तो मध्यप्रदेश विधान सभा में तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित होते हैं परन्तु मंत्री के ज्ञान की परीक्षा उस समय होती है जब तारांकित प्रश्नों से उद्भूत पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने 1960 से विधान सभा की रिर्पोटिंग प्रारंभ की थी। मैंने अपनी रिर्पोटिंग के इतने लंबे अनुभव के दौरान दो मंत्रियों को पूरक प्रश्नों के उत्तर देने में असाधारण क्षमता से सम्पन्न पाया। वे दो मंत्री थे स्वर्गीय बाबू तख्तमल जैन एवं स्वर्गीय बसंतराव उईके। मुझे याद है कि एक दिन एक विधायक ने एक जिले में नलकूपों की स्थिति के बारे में सवाल पूछा था। पूरक प्रश्न पूछते हुए विधायक ने तीन–चार गांवों में नलकूप हैं कि नहीं जानना चाहा तो उईके जी ने कहा कि मेरे पास जिले के उन सब गांवों की सूची है जहां नलकूप खुद चुके हैं। उईके जी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय चाहें तो मैं पूरी सूची पढ़ सकता हूँ। अध्यक्ष ने जानना चाहा कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर उईके जी ने कहा कि कम से कम आधा घंटा लग सकता है। इस पर सदन में उपस्थित अनेक विधायकों ने एक स्वर से उईके जी की तारीफ की और कहा कि सूची पढ़ने की जरूरत नहीं आप उसे सदन के पटल पर रख दें। यह स्पष्ट है कि पूरक प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता ही असली संसदीय गुण माना जाता है।

आजकल आए दिन संसद में और विधान सभाओं में प्रश्नोत्तर काल को निलंबित करने की मांग उठती है। जब भी कोई गंभीर मामला होता है तो सदस्यों की मांग रहती है कि प्रश्नोत्तर काल को निलंबित कर गंभीर मामले पर विचार किया जाए। मैं ऐसी मांग को संसदीय प्रजातंत्र की आत्मा का हनन मानता हूं। मेरी राय में प्रश्नोत्तर काल को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में यदि प्रक्रिया में संशोधन आवश्यक हो तो किया जाना चाहिए।

बीच–बीच में इस तरह के आरोप सुनने को मिलते हैं कि प्रश्न पूछकर मंत्रियों को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न के माध्यम से मंत्री पर दबाव बनाया जाता है। प्रश्न पूछने के बाद यदि काम हो गया तो प्रश्नकर्ता विधायक प्रश्नोत्तर काल के दौरान गायब हो जाता है। इस तरह के आरोप नहीं सुनने को मिले, ऐसी पारदर्शिता विकसित किए जाने की जरूरत है।

मेरी राय में ऐसे विधायक को जो प्रश्न पूछकर उसी दिन गायब हो जाता है, जिस दिन उसका प्रश्न कार्यवाही में शामिल किया जाता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। कम से कम कुछ समय के लिए प्रश्न पूछने के अधिकार से उसे वंचित कर देना चाहिए।

ब्रिटेन के हाउस ऑफ कामन्स में प्रधानमंत्री का प्रश्नकाल होता है। उस दिन बिना पूर्व सूचना के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाते हैं। मध्यप्रदेश में भी दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल चालू किया था। विधान सभा की कार्यवाही का वह अत्यधिक दिलचस्प हिस्सा बन गया था।

कभी–कभी विधान सभा में ऐसे अवसर भी आते हैं जब एक ही तारांकित प्रश्न से उद्भूत पूरक प्रश्नों में ही प्रश्नकाल का पूरा समय समाप्त हो जाता है। इससे बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न कार्यवाही में नहीं आ पाते। इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाना आवश्यक है।

राजु कुमार ने प्रश्नोत्तरकाल के अनेक पहलुओं का बारीकी से विश्लेषण किया है। आशा है यह विश्लेषण विधान सभा की कार्यवाही को और सार्थक बनाने में सहायक होगा।

एल.एस. हरदेनिया
वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल

विषयसूची

भूमिका	1
आमुख	2
अध्याय– 1 परिचय	4
1.1 इतिहास	4
1.2 प्रश्नकाल का महत्व	4
1.3 प्रश्नों की प्रस्तुति	5
1.4 अध्ययन विधि एवं उद्देश्य	5
अध्याय–2 मध्यप्रदेश विधान सभा एक नजर में	6
अध्याय–3 प्रश्नकाल का विश्लेषण	8
3.1 प्रश्नकाल में प्रश्नों की स्थिति	8
3.2 शासन द्वारा दिए गए उत्तरों की स्थिति	8
3.3 प्रश्न करने वाले निर्वाचित सदस्यों का विवरण	9
3.4 दल वार किए गए प्रश्नों की स्थिति	10
3.5 महिला सदस्यों द्वारा किए गए प्रश्नों की संख्या	10
3.6 आरक्षित सीटों से निर्वाचित सदस्यों द्वारा किए गए प्रश्नों की संख्या	11
3.7 अधिक प्रश्न करने वाले निर्वाचित सदस्य	11
3.8 एक भी प्रश्न नहीं करने वाले निर्वाचित सदस्य	11
3.9 प्रश्नों का भौगोलिक दायरा	12
3.10 संभागवार प्रश्नों की संख्या	13
3.11 विभिन्न विभागों से किए गए प्रश्नों की संख्या	14
3.12 सबसे ज्यादा एवं सबसे कम प्रश्न किए जाने वाले विभाग	16
3.13 विषयवार प्रश्नों की संख्या	17
3.14 विषयवार तारांकित प्रश्नों की संख्या	17
3.15 विषयवार अतारांकित प्रश्नों की संख्या	18
3.16 कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रश्नों की संख्या	18
3.17 कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रश्न (प्रतिशत में)	19
3.18 रोजगार गारंटी पर प्रश्नों के प्रकार	19
3.19 महिला मुद्दों पर प्रश्नों के प्रकार	19
3.20 बच्चों के मुद्दों पर प्रश्नों के प्रकार	20
3.21 अजा एवं अजजा के मुद्दे पर प्रश्नों के प्रकार	20
3.22 स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों से स्वास्थ्य पर पूछे गए सभी प्रश्नों का प्रकार	20
3.23 स्कूल शिक्षा विभाग से किए गए प्रश्नों के प्रकार	21
3.24 उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से किए गए प्रश्नों के प्रकार	21
3.25 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से किए गए प्रश्नों के प्रकार	21
3.26 महिला एवं बाल विकास विभाग से किए गए प्रश्नों के प्रकार	22
अध्याय–4 निष्कर्ष	23

अध्याय- 1 परिचय

1.1 इतिहास

विश्व के संसदीय इतिहास में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 9 फरवरी, 1721 में अर्ल्ड कूपर ने साउथ सी कम्पनी के कार्यकलापों के संबंध में पहली बार प्रश्न पूछा था। हाऊस ऑफ लार्ड्स के स्पीकर ने सन् 1783 में प्रश्नों के संबंध में निर्णय दिया कि किसी भी सदस्य को मंत्री या विभाग के प्रमुख से प्रश्न पूछने का अधिकार है एवं उक्त मंत्री या विभाग प्रमुख को अधिकार है कि वह उसका उत्तर दे या नहीं। 1835 में संसद की कार्यवाही में पहली बार प्रश्नों का नोटिस छापा गया था। वर्तमान प्रश्नकाल की प्रक्रिया 19वीं सदी की देन है। उस समय प्रश्नों को "नोटिस ऑफ मोशन्स" के शीर्षक से संसद की दैनन्दिनी की सूची में लिखा जाने लगा। आगे चलकर प्रश्नोत्तरी के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की आवश्यकता महसूस हुई और 1902 में हाऊस ऑफ कॉमन्स की बैठक दिन के 3 बजे के बजाय 2 बजे से शुरू की गई। इस प्रकार प्रश्नोत्तरी के लिए अलग से एक घंटा समय दिए जाने की व्यवस्था की शुरुआत हुई।

भारत ने अपनी संसदीय व्यवस्था के अधिकांश भाग को ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से अपनाया है। इस तरह से देखा जाए, तो औपनिवेशिक काल से ही भारत की संसदीय कार्यवाही में प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था की गई थी। 1919 में मांटेग्यु चेम्सफोर्ड सुधारों के प्रभावशील होने से संसदीय कार्यवाही में भी संशोधन हुए और नये नियमों के तहत भारत में भी सदन की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए सुनिश्चित किया गया। नियमों में संशोधन होने के बाद 1952 में प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन संबंधी नियमों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, उन्हीं के आधार पर संसद का संचालन होता है। संसद के संचालन के लिए बने नियमों के आधार पर ही विभिन्न राज्यों ने अपनी–अपनी विधान मंडलों के लिए संचालन नियम बनाए हैं। यानी स्वतंत्र भारत में शुरू से ही संसद या विधान मंडल की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के रूप में (विशेष अपवादों को छोड़कर) तय कर दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत केन्द्रीय मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 164 (2) के तहत राज्यों का मंत्रिमंडल राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में जनता का जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रहता है। इस प्रकार संसद या विधान सभाओं में जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे या लिए जाने वाले निर्णयों एवं बनने वाले नियम एवं कानूनों में जनता की सहमति मानी जानी चाहिए। निश्चय ही यह कहा जा सकता है कि संसद या विधान मंडलों में जनता की जितनी अधिक समस्याएं आएंगी, उतना ही प्रभावी ढंग से उस समस्या के समाधान होने की संभावना बढ़ेगी। प्रश्नकाल इसके लिए सशक्त माध्यम होता है।

1.2 प्रश्नकाल का महत्व

प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्नों के माध्यम से जो मुद्दे सामने लाए जाते हैं, वे सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं। प्रश्नों के माध्यम से जमीनी समस्याओं को उठाया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ मिलने या यूं कहें कि समस्या के समाधान होने की संभावना ज्यादा सशक्त हो जाती है। प्रश्नों के माध्यम से भ्रष्टाचार, घोटाला, सरकारी की नीतियां, विकास कार्यों की प्रगति, बजट, योजना आदि लगभग सभी मुद्दों पर प्रश्न किए जाते हैं, जो किसी भी विभाग से जुड़े हो सकते हैं। प्रश्नकाल यह अहसास दिलाता है कि शासन के सभी विभागों तक जनता की पहुंच है और विभागों के कार्यों से जुड़े प्रश्न जन प्रतिनिधियों के माध्यम से सदन में उठाए जा सकते हैं। यह नौकरशाही को जवाबदेह बनाने का सशक्त जरिया है। इससे प्रशासनिक अधिकारी अपने विभाग में निर्णय लेने या कार्यवाही करने में हमेशा सतर्क रहते हैं, क्योंकि उन्हें आशंका रहती है कि संबंधित विषय पर कभी भी सदन में प्रश्न खड़ा हो सकता है और इसका जवाब विभाग के मंत्री को देना पड़ सकता है। सदन में तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्नोत्तरी मौखिक रूप से कराई जाती है।

1.3 प्रश्नों की प्रस्तुति

विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बैठक की शुरुआत प्रश्नकाल से ही होती है। प्रश्नकाल के लिए एक घंटे का समय निर्धारित है। प्रश्नकाल में तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न होते हैं, जिनका लिखित उत्तर सदस्यों को बैठक से पहले उपलब्ध करा दिया जाता है। तारांकित प्रश्नों पर प्रश्नकाल में अनूपूरक प्रश्न किए जा सकते हैं एवं अतारांकित पर अनुपूरक प्रश्न नहीं किया जाता है। तारांकित प्रश्नों का परिसीमन कर दिया गया है क्योंकि एक घंटे में बहुत ज्यादा प्रश्नों पर अनुपूरक सवाल–जवाब संभव नहीं है। 1986 से मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रत्येक दिन की बैठक में प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न करने के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम सीमा 25 है। मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को एक बैठक में 2 तारांकित प्रश्न पूछने का अधिकार है। मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 46(2) के तहत पूरक प्रश्नों के लिए तारांकित प्रश्नों की तय सीमा से अधिक के तारांकित प्रश्नों को अतारांकित में परिवर्तित कर दिया जाता है और उन पर अनुपूरक प्रश्न नहीं किया जाता।

किसी भी मुद्दे पर सदन में प्रश्न पूछने का अधिकार सिर्फ सदन के सदस्यों को है। सदस्यों के माध्यम से ही सदन में प्रश्न किए जाते हैं। आम व्यक्ति के लिए जरूरी है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं से जन प्रतिनिधि को अवगत कराते रहें ताकि सत्र के समय सदस्य संबंधित मुद्दे पर प्रश्न उठा सकें। प्रश्नों के स्वरूप एवं उसकी प्रस्तुति से संबंधित जानकारियां सदस्यों को दी जाती है, ताकि वे केंद्रित होकर प्रश्न कर सके। उनके लिए प्रश्नों को तैयार करने हेतु विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रोफर्मा का सेट भेज जाता है। मध्यप्रदेश में प्रश्न पूछने के लिए सदस्यों को 21 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। विधान सभा की प्रश्न शाखा प्रत्येक सदस्यों को नियमानुसार प्रश्नों का प्रोफार्मा भेजती है। प्रश्नकाल के लिए सभी विभागों को 5 समूहों में बांटा जाता है।

1.4 अध्ययन उद्देश्य एवं विधि

प्रश्नकाल में उठाए गए प्रश्नों के आधार पर मध्यप्रदेश विधान सभा में कार्यपालिका की जवाबदेही एवं विधायिका की सक्रियता की स्थिति को समझने के उद्देश्य से यह अध्ययन किया गया है। प्रश्नकाल में उठाए जाने वाले प्रश्नों से जनता का सीधा जुड़ाव होता है। इसमें पता चलता है कि प्रश्नकाल में किन मुद्दों पर ज्यादा प्रश्न आते हैं या यूं कहे कि जन प्रतिनिधियों की प्राथमिकता में कौन–कौन से जनमुद्दे रहते हैं, जिन्हें वे प्रश्नों के माध्यम से सदन में उठाते हैं और कार्यपालिका से उसमें सकारात्मक हस्तक्षेप की मांग करते हैं।

अध्ययन के माध्यम से यह देखने की कोशिश की गई है कि प्रश्नकाल में किस विभाग से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन–कौन से विधायक ज्यादा सक्रिय हैं, विभिन्न दलों की भागीदारी कितनी है, महिलाओं एवं आरक्षित सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी कितनी है, किस क्षेत्र से एवं किस विषय से कितने प्रश्न किए गए एवं मुद्दावार कितने प्रश्न किए जा रहे हैं, साथ ही प्रश्नों पर कार्यपालिका का क्या रुख है?

13वीं विधान सभा के 10वें सत्र (11 से 22 जुलाई 2011) के प्रश्नकाल के प्रकाशित प्रश्नोत्तर–सूची के सामग्री को अध्ययन के लिए मुख्य रूप से द्वितीयक सामग्रियों का उपयोग किया गया है। सत्र के लिए निर्धारित 10 बैठकों में से एक बैठक आयोजित नहीं की गई, पर उस दिन के प्रकाशित प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों को नियमों के तहत अतारांकित कर दिया गया। उसे भी अतारांकित प्रश्नों के रूप में अध्ययन में शामिल किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत निम्न कार्य किए गए हैं –

- मध्यप्रदेश विधान सभा से 10वें सत्र के प्रश्नोत्तर–सूची का संकलन।
- प्रश्नो का वर्गीकरण ।
- प्रश्नों का सारणीकरण।
- प्रश्नों का विश्लेषण।

अध्याय–2 मध्यप्रदेश विधान सभा एक नजर में

भारत के मध्य में स्थित "मध्यप्रदेश" को देश का हृदय स्थल कहा जाता है। प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 72597565 है। यहां की साक्षरता 70.6 प्रतिशत है, जिसमें महिला साक्षरता 60.0 प्रतिशत एवं पुरुष साक्षरता 80.5 प्रतिशत है। वर्तमान मध्यप्रदेश का गठन देश की आजादी के 9 साल बाद 1 नवंबर 1956 को किया गया था। वर्ष 2000 के राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। मध्यप्रदेश में प्रशासकीय दृष्टि से 10 संभाग एवं 50 जिले हैं। प्रदेश में 342 तहसीलें, 313 विकासखंड हैं, जिनमें से 89 आदिवासी विकासखंड हैं। प्रदेश में कुल 54903 गांव हैं, जिनमें से 52117 आबाद हैं। प्रदेश में 14 नगर निगम, 97 नगरपालिका, 258 नगर पंचायत, 50 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत एवं 23012 ग्राम पंचायत हैं।

प्रदेश में लोक सभा की 29, राज्य सभा की 11 एवं विधान सभा की 230 सीटें हैं। मध्यप्रदेश विधान सभा में एक सदस्य को मनोनित किया जाता है। 13वीं विधानसभा में 11 जुलाई 2011 की स्थिति में दलीय स्थिति निम्न है –

मध्यप्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की स्थिति (11 जुलाई 2011)

दल	अनारक्षित सीट		अजा सीट		अजजा सीट		कुल	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
भाजपा	83	7	24	3	25	5	132	15
कांग्रेस	42	2	5	1	13	3	60	6
बसपा	7	0	0	0	0	0	7	0
भाजश	3	1	1	0	0	0	4	1
सपा	0	1	0	0	0	0	0	1
निर्दलीय	2	0	0	0	1	0	3	0
रिक्त	0	0	एक		0	0	एक	
कुल	137	11	30	4	39	8	206	23

(नोट – 2 दिसंबर 2011 को विधान सभा में की गई घोषणा एवं उस संबंध में जारी पत्रक भाग – 2, क्रमांक – 222, 2 दिसंबर के अनुसार भारतीय जनशक्ति पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया। वर्तमान में भाजपा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 152 है।)

स्रोत – मध्यप्रदेश विधान सभा की वेबसाइट – www.mpvidhansabha.nic.in

मध्यप्रदेश में 13वीं विधान सभा का गठन 11 दिसंबर 2008 को किया गया था। इसमें कुल 230 सीटों में से 35 सीट अनुसूचित जाति एवं 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 82 आरक्षित सीटों में से 12 पर महिला निर्वाचित हैं एवं अनुसूचित जाति की एक सीट रिक्त है। अनारक्षित सीट से भी अजा एवं अजजा वर्ग के कुछ सदस्य निर्वाचित हैं, पर विश्लेषण में उन्हें अनारक्षित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में लिया गया है। निर्वाचित सदस्यों की संख्या में महिला सदस्य मात्र 10 प्रतिशत ही हैं।

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से सर्वाधिक 64 प्रतिशत सदस्य विधान सभा में निर्वाचित हैं तथा दूसरे स्थान पर कांग्रेस 29 प्रतिशत के साथ है। शेष 7 प्रतिशत सीटों पर अन्य दलों के प्रत्याशी निर्वाचित हैं।

ग्राफ 1 – दलवार निर्वाचित सदस्यों का प्रतिशत

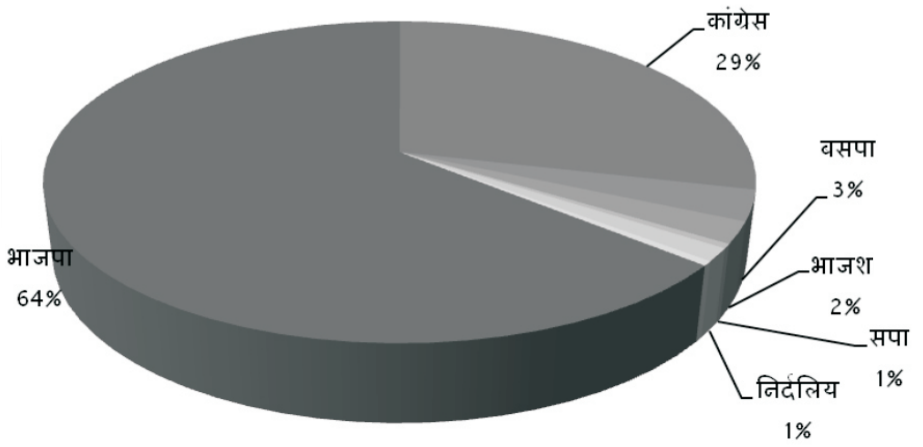

स्रोत – मध्यप्रदेश विधान सभा की वेबसाइट – www.mpvidhansabha.nic.in

भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपने मंत्रिपरिषद का गठन किया है। 11 जुलाई 2011 की स्थिति में 32 सदस्यों का मंत्रिपरिषद रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा 31 मंत्री, 19 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं 9 राज्य मंत्री शामिल हैं।

तालिका 2 – मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार का मंत्रिपरिषद (1 2011 की स्थिति में)

	पुरुष	महिला
मुख्यमंत्री	1	
मंत्री	18	1
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	2	1
राज्य मंत्री	9	0
कुल	30	2

स्रोत – मध्यप्रदेश विधान सभा की वेबसाइट – www.mpvidhansabha.nic.in

प्रदेश में पंचायतों एवं नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण करनेवाली प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद में मात्र 6.25 प्रतिशत ही महिलाएं है, जबकि भाजपा में कुल निर्वाचित सदस्यों में 10 प्रतिशत महिलाएं हैं।

अध्याय–3 प्रश्नकाल का विश्लेषण

3.1 प्रश्नकाल में प्रश्नों की स्थिति

मध्यप्रदेश में गठित 13वीं विधान सभा के 10वें सत्र के लिए 13 जून को अधिसूचना जारी हुई, जिसमें 11 से 22 जुलाई तक 10 बैठकों के लिए दिन निर्धारित किए गए। शासन के विभागों को 5 भागों में निर्धारित रखा जाता है। इस तरह से सभी विभागों से प्रश्न करने के लिए दो प्रश्नकाल की व्यवस्था इस सत्र में रही। प्रश्नकाल के विश्लेषण के इस अध्याय के सभी ग्राफ (ग्राफ 2 को छोड़कर) एवं तालिकाओं का स्रोत मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित जुलाई–2011 सत्र के सभी प्रश्नोत्तर–सूची रहे हैं।

विधान सभा सचिवालय को कुल प्राप्त प्रश्नों की संख्या 2666 प्रश्न प्राप्त हुए। इसमें से 2100 प्रश्नों को ग्राह्य किया गया। प्राप्त प्रश्नों में कुल तारांकित प्रश्न 1593 एवं 1073 अतारांकित प्रश्न थे, जिसमें से 1063 तारांकित एवं 1037 अतारांकित

यमानुसार प्रश्नोत्तरी में कुल 225 प्रश्न तारांकित रूप में दिनों में मात्र 87 प्रश्नों पर ही अनुपूरक प्रश्न संभव हो

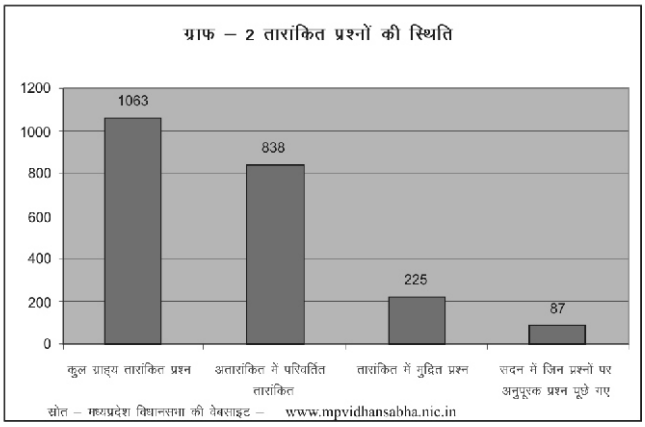

हालांकि एक घंटे में 25 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्नोत्तरी करने की स्थिति में औसत 2.7 मिनट का समय मिलता है पर इस सत्र में औसत 6.9 मिनट प्रति प्रश्न में अनुपूरक सवाल–जवाब हुआ। प्रश्नकाल में 25 प्रश्नों पर मौखिक प्रश्नोत्तरी के लिए एक घंटे का समय कम पड़ जाता है, जिसकी समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

3.2 शासन द्वारा दिए गए उत्तरों की स्थिति

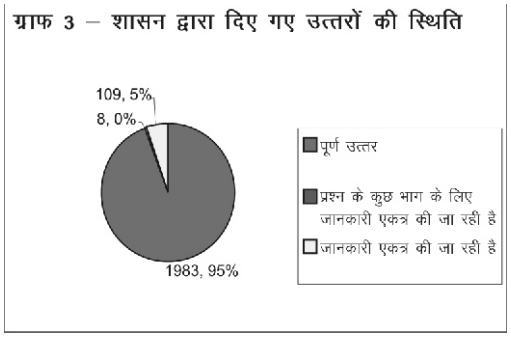

कुल 2100 प्रश्नों में से शासन की ओर से 109 प्रश्नों (5 फीसदी) में ''जानकारी एकत्र की जा रही है'' जवाब आया है। 8 प्रश्नों के जवाब में आधे भाग का जवाब आया है एवं आधे भाग के लिए ''जानकारी एकत्र की जा रही है'' जवाब है। 1983 प्रश्नों (95 फीसदी) का पूर्ण जवाब आया है। पूर्व के सत्रों में ''जानकारी एकत्र की जा रही है'' जैसे जवाब बहुत ज्यादा आते थे, पर विधान सभा अध्यक्ष ने ऐसे जवाबों पर टिप्पणी करते हुए शासन को कहा कि प्रश्नों के जवाब में ''जानकारी एकत्र की जा रही है'' जैसे जवाब आना उचित नहीं है एवं इसमें सुधार किया जाए। निश्चय ही इसमें सुधार देखने को मिल रहा है।

3.3 प्रश्न करने वाले निर्वाचित सदस्यों का विवरण

सत्र के दरम्यान तीन में से एक निर्वाचित सदस्य ने 1 से 10 प्रश्न किए। एक भी प्रीसदी हैं। 10 की संख्या तक प्रश्न करने वाले सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा 64 हैं, जिनका प्रतिशत 32 है। 42 सदस्यों ने 11 से 20 की संख्या में प्रश्न किए, जो 22 फीसदी हैं। 21 से 30 प्रश्न पूछने वाले 21 हैं, जो 11 फीसदी हैं। 19 सदस्यों ने 30 से ज्यादा प्रश्न किए, जो प्रश्न करने वाले कुल सदस्यों में 10 फीसदी हैं। ज्यादा प्रश्न करने वाले सदस्यों की संख्या बहुत ही कम हैं। कुल प्रश्न करने वाले सदस्यों में 21 सदस्यों द्वारा 30 एवं उससे ज्यादा प्रश्न विभिन्न विभागों से किए गए। कांग्रेस के सबसे ज्यादा 13 सदस्यों ने 30 से ज्यादा प्रश्न किए, जो ज्यादा प्रश्न करने वाले कुल सदस्यों का 61 फीसदी है। भाजपा के 6, बसपा के एक एवं भाजश के एक सदस्य ने 30 एवं उससे ज्यादा प्रश्न किए।

तालिका 3– प्रश्न करने वाले निर्वाचित सदस्यों का विवरण

प्रश्नों की संख्या के आधार पर विवरण	निर्वाचित सदस्य संख्या
एक भी प्रश्न नहीं पूछने वाले	48
1 से 10 प्रश्न पूछने वाले	64
11 से 20 प्रश्न पूछने वाले	42
21 से 30 प्रश्न पूछने वाले	21
30 से अधिक प्रश्न पूछने वाले	19
योग	194
मंत्री परिषद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित विधायक	35
कुल	229

ग्राफ 4 – प्रश्न करने वाले निर्वाचित सदस्यों का प्रतिशत

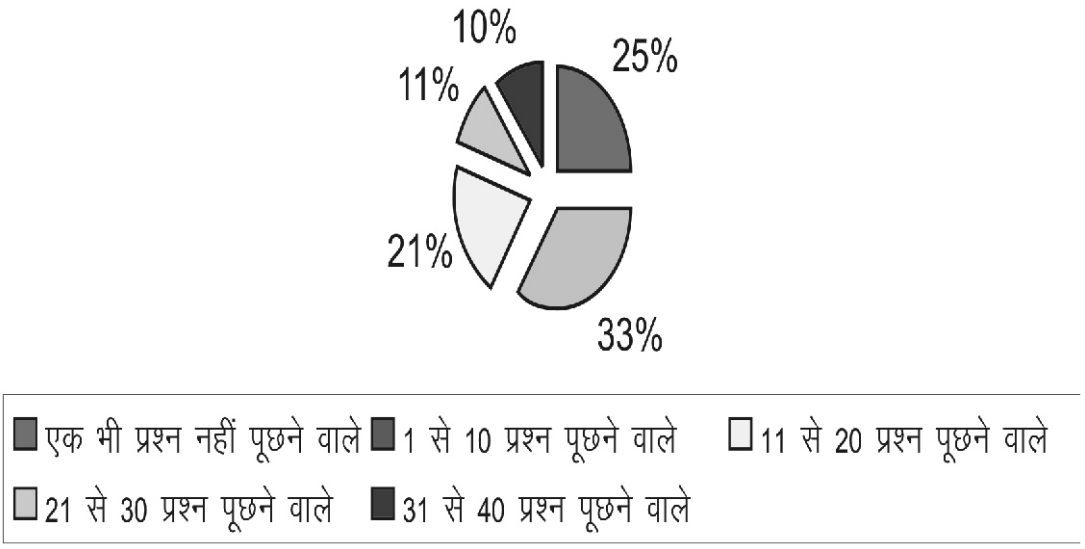

3.4 दल वार किए गए प्रश्नों की स्थिति

प्रश्न करने वाले सदस्यों को दलीय आधार पर देखा जाए, तो पता चलता है कि लगभग आधे (49 फीसदी) प्रश्न कांग्रेस ने किए हैं। कांग्रेस सदस्यों द्वारा 1029 प्रश्न किए गए हैं, जबकि सदन में उनकी संख्या महज 33 फीसदी (अध्यक्ष, मंत्रियों एवं मनोनित सदस्य को छोड़कर) है। भाजपा सदस्यों ने कुल किए गए प्रश्नों में 833 प्रश्न (40फीसदी) किया है। बसपा ने 110 प्रश्न, भाजश ने 90 प्रश्न सपा ने महज 5 प्रश्न एवं निर्दलीय सदस्यों ने 33 प्रश्न किए हैं। दलवार तारांकित एवं अतारांकित ग्राह्य प्रश्नों को देखा जाए, तो कांग्रेस ने 516, भाजपा ने 429, बसपा ने 53, भाजश ने 45, सपा ने 3 एवं निर्दलीय सदस्यों ने 17 तारांकित प्रश्न किए हैं। इसी तरह कांग्रेस ने 513, भाजपा ने 404, बसपा ने 57, भाजश ने 45, सपा ने 2 एवं निर्दलीय सदस्यों ने 16 अतारांकित प्रश्न किए हैं। तारांकित प्रश्नों में कांग्रेस ने भाजपा से 87 प्रश्न ज्यादा किए हैं।

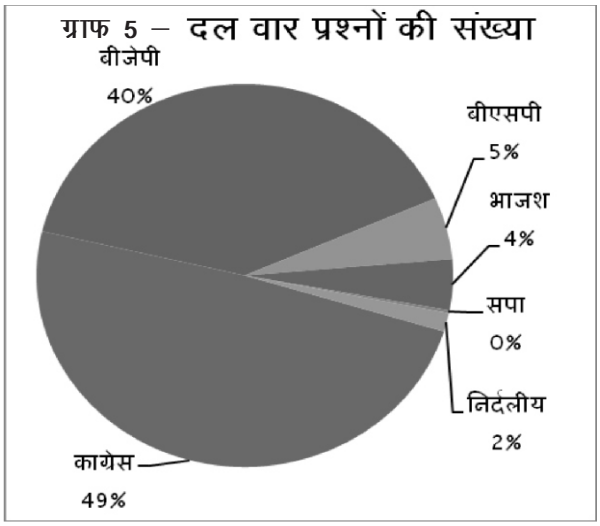

तालिका 4 – दल वार किए गए प्रश्नों की स्थिति

पार्टी का नाम	तारांकित	अतारांकित	योग
कांग्रेस	516	513	1029
भाजपा	429	404	833
बसपा	53	57	110
भाजश	45	45	90
सपा	3	2	5
निर्दलीय	17	16	33
योग	1063	1037	2100

3.5 महिला सदस्यों द्वारा किए गए प्रश्नों की संख्या

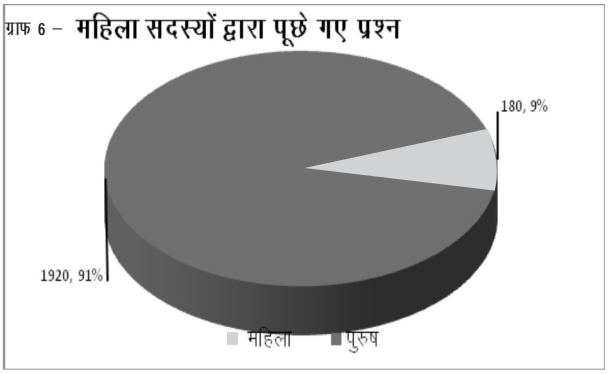

सत्र में महिला सदस्यों ने कुल 180 प्रश्न किए हैं। जो कि कुल प्रश्नों का 9 फीसदी है। 1920 प्रश्न पुरुष सदस्यों द्वारा किया गया है। सदन में महिलाओं की संख्या (अध्यक्ष, मंत्रियों एवं मनोनित सदस्य को छोड़कर) लगभग 11 फीसदी है।

3.6 आरक्षित सीटों से निर्वाचित सदस्यों द्वारा किए गए प्रश्नों की संख्या

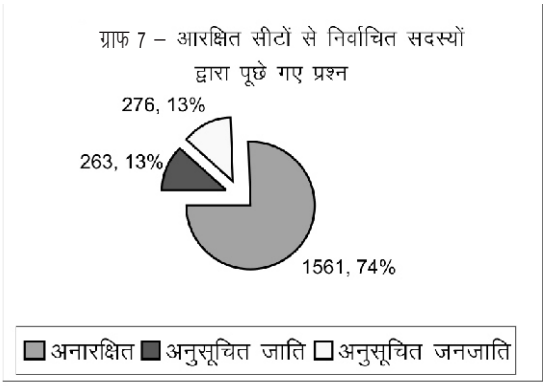

मध्यप्रदेश में आरक्षित सीटों से निर्वाचित सदस्यों में अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों ने 263 प्रश्न किए हैं, जो कि कुल प्रश्नों का लगभग 13 फीसदी है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों ने 276 प्रश्न किए हैं, जो कि कुल प्रश्नों का लगभग 13 फीसदी है। आरक्षित वर्ग से निर्वाचित सदस्यों का प्रतिशत 35 है, जबकि उनके द्वारा किए गए कुल प्रश्नों का प्रतिशत 25 है।

3.7 अधिक प्रश्न करन वाले निर्वाचित सदस्य

एक ओर जहां प्रश्न नहीं करने वाले सदस्यों में सबसे अधिक भाजपा के हैं वही दूसरी ओर सत्र के दरम्यान सबसे अधिक प्रश्न करने में भी भाजपा के कुछ सदस्य सबसे आगे हैं। सबसे अधिक प्रश्न विश्वास सारंग ने किया है, उन्होंने कुल 37 प्रश्न किए हैं। उनके बाद भाजपा विधायक भगत सिंह नेताम एवं कांग्रेस के डॉ. प्रभुराम चौधरी ने 36–36 प्रश्न किए। भाजपा के अरविंद सिंह भदौरिया, कांग्रेस के आरिफ अकील एवं कांग्रेस के महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने 35–35 सवाल किए।

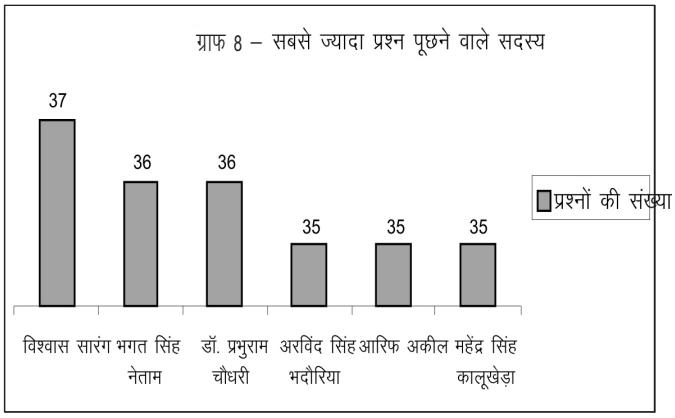

3.8 एक भी प्रश्न नहीं करने वाले निर्वाचित सदस्य

सत्र के दरम्यान निर्वाचित सदस्यों में से 48 सदस्यों ने एक भी प्रश्न नहीं किए, जिसमें भाजपा के 39, कांग्रेस के 7, बसपा के एक एवं निर्दलीय से एक सदस्य शामिल हैं। प्रश्न नहीं करने वाले सबसे ज्यादा भाजपा सदस्य हैं, जबकि विधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है। विधान सभा में अजा एवं अजजा सीट से निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 35 फीसदी है, पर प्रश्न नहीं करने वाले कुल सदस्यों में से आरक्षित सीटों से निर्वाचित सदस्य लगभग 48 फीसदी हैं। इसमें यह दिख रहा है कि प्रश्न नहीं करने वाले सदस्यों में आरक्षित सीटों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या अनुपातिक रूप से ज्यादा है।

- एक चौथाई निर्वाचित सदस्यों ने एक भी प्रश्न नहीं किया
- प्रश्न नहीं करने वालों में निर्दलीय एवं भाजपा के सदस्य सबसे आगे
- कांग्रेस के सर्वाधिक 90% सदस्यों ने प्रश्न पूछे
- सपा एव भाजश के सभी सदस्य प्रश्न पुछने में सक्रिय रहे
- आदिवासी सीटों से निर्वाचित सदस्य प्रश्न पूछने में रहे सबसे पीछे
- अनारक्षित सीट से निर्वाचित सदस्य प्रश्न पूछने में रहे सबसे सक्रिय

प्रश्न नहीं करने वाले कुल 48 सदस्यों में से 6 महिला सदस्य हैं। जिसमें से तीन अजजा, एक अजा एवं दो अनारक्षित सीट से निर्वाचित महिला सदस्य शामिल हैं। भाजपा से पांच एवं कांग्रेस से एक महिला सदस्य ने प्रश्न नहीं किया। राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जहां एक ओर विधान सभा में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत तक करने के लिए लगातार बहस जारी है, वहीं दूसरी ओर अभी भी विधान सभा में प्रश्न नही करने वालों में निर्वाचित महिला एवं पुरूष सदस्यों में महिला सदस्यों का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक है। जब महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए बहस चल रही है, तो विधान सभा में महिला सदस्यों से ज्यादा मुखरता एवं सक्रियता की अपेक्षा की जानी चाहिए।

तालिका 5– प्रश्न नहीं करने वाले निर्वाचित सदस्यों का विवरण

	पार्टी का नाम	कुल निर्वाचित सदस्य संख्या	प्रश्न नही करने वाले सदस्य	
			संख्या	प्रतिशत
1	भाजपा	147	39	27
2	कांग्रेस	66	7	11
3	निर्दलिय	3	1	33
4	बसपा	7	1	14
5	भाजश	5	0	0
6	सपा	1	0	0
योग		229	48	21

3.9 प्रश्नों का भौगोलिक दायरा

ग्राफ 9 – **प्रश्नों का भौगोलिक दायरा**

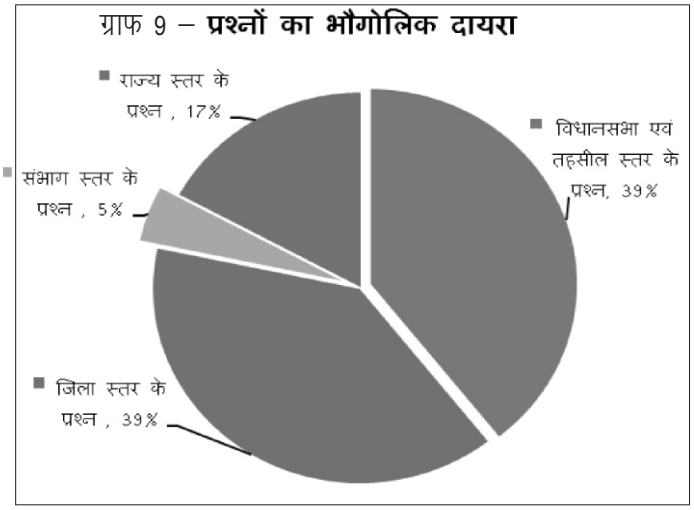

इस सत्र के प्रत्येक पांच प्रश्नों में से दो प्रश्न जिला स्तर के नीचे के दायरे से संबंध रखते है, दो प्रश्न विधान सभा या तहसील स्तर से और शेष एक प्रश्न राज्य या संभाग के दायरे से। सत्र में पूछे गए कुल प्रश्नों में मांगी गई जानकारी के आधार पर 826 प्रश्नों (39 फीसदी) का दायरा जिला स्तर से नीचे का है, 819 प्रश्नों (39 फीसदी) का दायरा जिला स्तर का है, 96 प्रश्नों (5 फीसदी) का दायरा जिला से ऊपर एवं राज्य स्तर से नीचे का है और 359 प्रश्नों (17 फीसदी) का दायरा राज्य स्तर का है।

3.10 संभागवार प्रश्नों की संख्या

संभागवार पूछे गए प्रश्नों की संख्या का विशलेषण करने से स्पष्ट है कि चम्बल संभाग के विधान सभा क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों ने सबसे अधिक औसत 15.23 प्रश्न प्रति विधान सभा क्षेत्र पूछे हैं। शहडोल संभाग से सबसे कम, प्रति विधान सभा एक से भी कम प्रश्न पूछा गया है। सबसे ज्यादा 335 प्रश्न (17 फीसदी) जबलपुर संभाग से पूछे गए हैं। जबलपुर संभाग में 36 विधान सभा क्षेत्र हैं, यानी इस संभाग से प्रति विधान सभा क्षेत्र 9.30 प्रश्न किये गये। इंदौर संभाग में सबसे ज्यादा 37 विधान सभा क्षेत्र हैं जिसमें एक क्षेत्र रिक्त है। पर इस संभाग से 214 प्रश्न (10 फीसदी) ही किये गये, जो कि प्रति विधान सभा क्षेत्र 5.78 प्रश्न हैं।

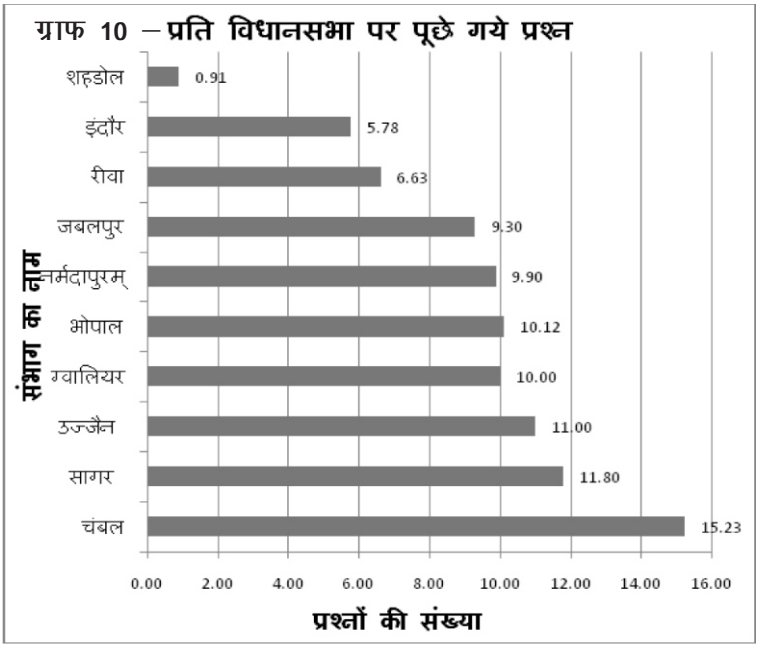

तालिका 6– संभागवार प्रश्नों की संख्या

क्र	संभाग	विधानसभों की संख्या	प्रश्नों की संख्या	प्रति विधानसभावार पूछे गये औसत प्रश्न
1	जबलपुर	36	335	9.30
2	इंदौर	36	214	5.78
3	उज्जैन	29	319	11.00
4	सागर	26	307	11.80
5	भोपाल	25	253	10.12
6	रीवा	22	146	6.63
7	ग्वालियर	21	210	10.00
8	चंबल	13	198	15.23
9	नर्मदापुरम्	11	109	9.90
10	शहडोल	10	9	0.91
	योग	229	2100	9.07

उज्जैन संभाग में 29 विधान सभा क्षेत्र हैं एवं यहां से 319 प्रश्न (15 फीसदी) किये गये, जो कि प्रति विधान सभा क्षेत्र 11 प्रश्न होता है। सागर संभाग में 26 विधान सभा क्षेत्र हैं एवं यहां से 307 प्रश्न (14 फीसदी) किये गये। यहां से प्रति विधान सभा क्षेत्र 11.80 प्रश्न किये गये। भोपाल संभाग में 25 विधान सभा क्षेत्र हैं एवं यहां से 253 प्रश्न (12 फीसदी) प्रश्न किये गये। भोपाल संभाग से प्रति विधान सभा क्षेत्र लगभग 10 प्रश्न किए गए।

रीवा संभाग से 146 प्रश्न (7 फीसदी) किये गये, जबकि इस संभाग में 22 विधान सभा क्षेत्र हैं। रीवा में प्रति विधान सभा क्षेत्र 6.63 प्रश्न किये गये। ग्वालियर संभाग में 21 विधान सभा क्षेत्र हैं एवं यहां से 210 (10 फीसदी) प्रश्न किये गये। यहां प्रति विधान सभा क्षेत्र 10 प्रश्न किये गये। चंबल संभाग से 198 प्रश्न (9.5 फीसदी) प्रश्न किये गये, जबकि यहां 13 सीट हैं। इस संभाग से प्रति विधान सभा क्षेत्र 15.23 प्रश्न किये गये। नर्मदापुरम् में 11 विधान सभा सीट हैं एवं यहां से 109 प्रश्न (लगभग 5 फीसदी) किये गये, जो कि प्रति विधान सभा क्षेत्र 9.9 प्रश्न हैं। शहडोल संभाग में 10 विधान सभा क्षेत्र हैं, जबकि यहां से महज 9 प्रश्न (0.4 फीसदी) किये गये। यह प्रति विधान सभा क्षेत्र 1 से भी कम है।

3.11 विभिन्न विभागों से किए गए प्रश्नों की संख्या

जुलाई 2011 के सत्र के लिए प्रदेश के 54 विभागों को (आवास एवं पर्यावरण विभाग के आवास और पर्यावरण के लिए अलग–अलग मंत्री होने से उसे अलग–अलग दर्शाया गया है। इस तरह से इनकी संख्या 55 हैं।) प्रश्नकाल के लिए वितरित पत्रक में 5 भागों में बांटा गया है।

अध्ययन में सभी विभागों को 51 हिस्सों में रखा गया है। वित्त विभाग, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग को एक हिस्सा में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग को एक हिस्सा और आयुष विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक हिस्सा के रूप में रखा गया है।

तालिका 7 – विभिन्न विभागों से किए गए प्रश्नों की संख्या

विभाग	कुल प्रश्नों की संख्या	तारांकित प्रश्नों की संख्या	अतारांकित प्रश्नों की संख्या
1. वित्त – योजना, आर्थिक और सांख्यिकी – वाणिज्यिक कर (तीन विभाग)	60	32	28
2. सामाजिक न्याय	27	13	14
3. पंचायत और ग्रामीण विकास	138	85	53
4. परिवहन	13	6	7
5. जेल	7	4	3
6. श्रम	16	6	10
7. गृह	63	40	23
8. सामान्य प्रशासन	40	16	24
9. नर्मदा घाटी विकास	12	9	3
10. विमानन	1	0	1
11. आयुष – चिकित्सा शिक्षा (दो विभाग)	27	13	14
12. जन शिकायत निवारण	8	4	4
13. जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी	0	0	0
14. जल संसाधन	96	58	38
15. आवास और पर्यावरण (आवास को छोड़कर)	5	5	0
16. वन	66	38	28
17. संसदीय कार्य	0	0	0
18. विधि और विधायी कार्य	6	3	3
19. आवास और पर्यावरण (पर्यावरण को छोड़कर)	10	4	6
20. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	133	75	58
21. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	16	9	7
22. उच्च शिक्षा	24	14	10
23. संस्कृति	12	7	5
24. जनसंपर्क	3	0	3

विभाग	कुल प्रश्नों की संख्या	तारांकित प्रश्नों की संख्या	अतारांकित प्रश्नों की संख्या
25. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	7	4	3
26. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	104	55	49
27. राजस्व	164	107	57
28. पुनर्वास	0	0	0
29. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	54	31	23
30. महिला एवं बाल विकास	36	14	22
31. लोक सेवा प्रबंधन	5	2	3
32. नगरीय प्रशासन एवं विकास	150	81	69
33. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	1	0	1
34. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	47	21	26
35. सूचना प्रौद्योगिकी – विज्ञान और टेक्नोलॉजी (दो विभाग)	1	1	0
36 सार्वजनिक उपक्रम	0	0	0
37. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	30	19	11
38. कुटीर एवं ग्रामोद्योग	4	1	3
39. लोक निर्माण	147	103	44
40. पर्यटन	13	7	6
41. खेल एवं युवा कल्याण	18	5	13
42. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	54	9	45
43. सहकारिता	61	22	39
44. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण	82	28	54
45. पशुपालन	14	4	10
46. मछली पालन	10	4	6
47. पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	8	3	5
48. नवीन एवं नवनीकरण ऊर्जा	0	0	0
49. स्कूल शिक्षा	187	58	129
50. ऊर्जा	83	30	53
51. खनिज साधन	37	13	24
कुल प्रश्न	2100	1063	1037

3.12 सबसे ज्यादा एवं सबसे कम प्रश्न पूछे जाने वाले विभाग

सबसे ज्यादा जिन 10 विभागों से प्रश्न किये गए है उनको देखे तो, प्रश्नकाल में सबसे ज्यादा प्रश्न स्कूल शिक्षा विभाग से किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग से 187 प्रश्न किए गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रश्न करने वाले 10 विभागों के कुल प्रश्नों का प्रश्नों का 16 फीसदी है। इसके बाद राजस्व विभाग से 164 प्रश्न (लगभगर 13 फीसदी), नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से 150 प्रश्न, लोक निर्माण विभाग से 147 प्रश्न, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से 138 प्रश्न, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से 133 प्रश्न, कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से 104, जल संसाधन विभाग से 96, ऊर्जा विभाग से 83 एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से 82 प्रश्न पूछे गए हैं।

ग्राफ 11 – सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाले 10 विभाग

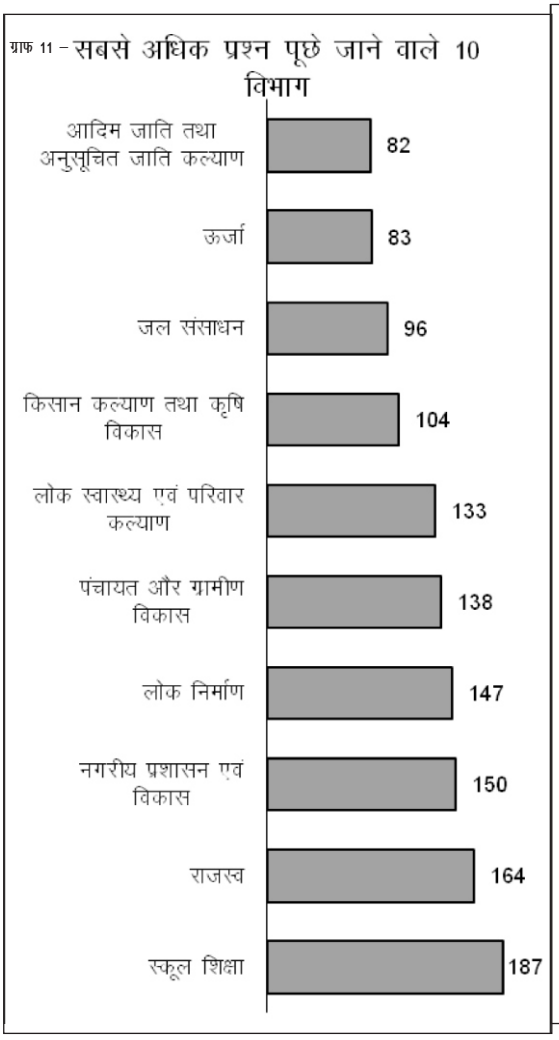

ग्राफ 12 – सबसे कम प्रश्न पूछे जाने वाले 10 विभाग

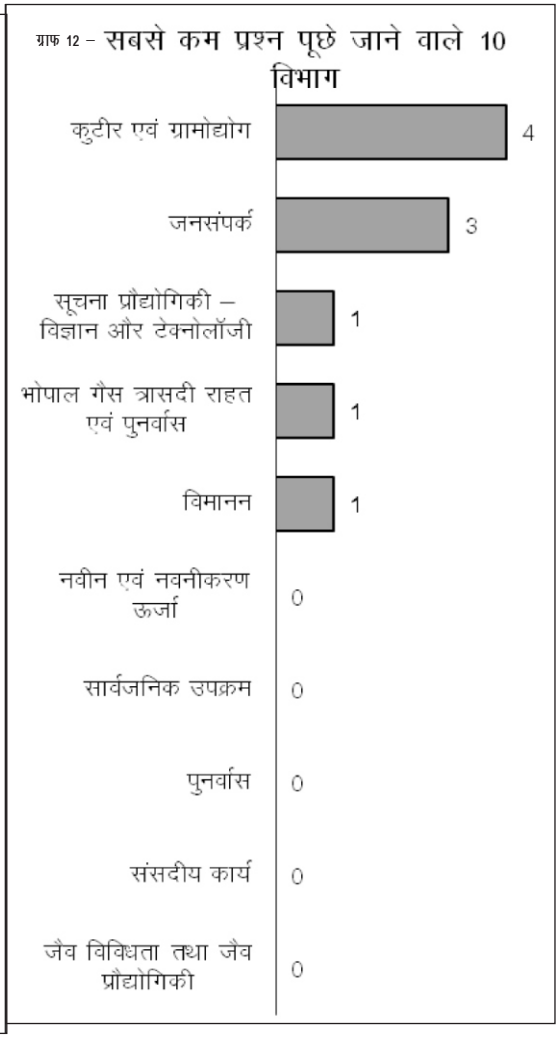

उपरोक्त चित्र अनुसार जैव विविधता विभाग, संसदीय कार्य विभाग, पुनर्वास विभाग सार्वजनिक उपक्रम विभाग और नवीन एवं नवनीकरण ऊर्जा विभाग से एक भी प्रश्न नहीं किया गया है। विमानन विभाग से एक प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग से एक प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से एक प्रश्न, जनसंपर्क विभाग से 3 प्रश्न और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग से 4 प्रश्न किए गए हैं।

3.13 विषयवार प्रश्नों की संख्या

सत्र के कुल 2100 प्रश्नों में सबसे ज्यादा 706 प्रश्न अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता से संबंधित हैं, जो कि 34 फीसदी है। 216 प्रश्न तबादला, पदस्थापना, पदपूर्ति से संबंधित हैं, जो कि 10 फीसदी है। नियम, नीति, निर्माण, शासकीय निर्देश से संबंधित 713 प्रश्न पूछे गए, जो कि 34 फीसदी है। अन्य प्रश्नों में 465 प्रश्न हैं, जो कि 22 फीसदी है।

ग्राफ 13 – विषयवार प्रश्न

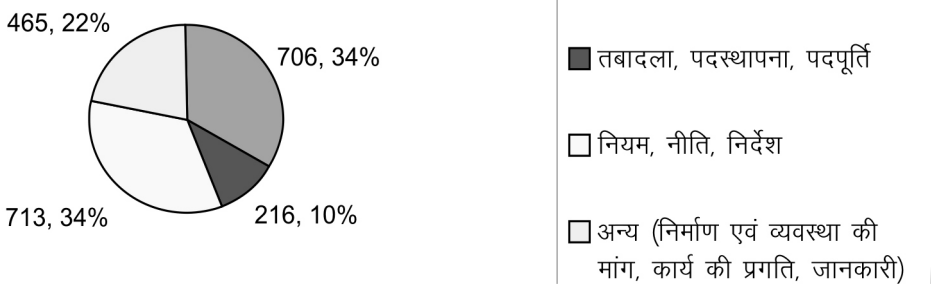

(नोट – अन्य श्रेणी के प्रश्नों में निर्माण कार्य की मांग, किसी समस्या पर व्यवस्था की मांग, कार्य की प्रगति की जानकारी, वस्तुस्थिति की जानकारी संबंधी प्रश्नों को रखा गया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न निर्माण कार्य एवं व्यवस्था की मांग से संबंधी थे। कई प्रश्न ऐसे थे, जिसमें कई विषयों का समावेश था, इसलिए उन प्रश्नों को एक ही श्रेणी में डालने के लिए उस प्रश्न के केंद्रित विषय वाले श्रेणी में रखा गया है।)

3.14 विषयवार तारांकित प्रश्नों की संख्या

ग्राफ 14 – विषयवार तारांकित प्रश्नों की संख्या

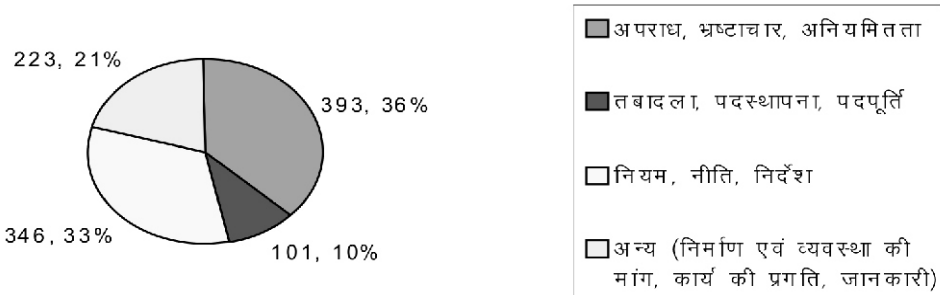

सत्र के कुल ग्राह्य 1063 तारांकित प्रश्नों में अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता से संबंधी 393 प्रश्न थे, जो कि तारांकित प्रश्नों में 36 फीसदी है। तबादला, पदस्थापना, पदपूर्ति से संबंधी 101 प्रश्न (10 फीसदी), नियम, नीति, शासकीय निर्देशों की जानकारी संबंधी 346 प्रश्न (33 फीसदी) एवं अन्य 223 प्रश्न (21 फीसदी) हैं।)

3.15 विषयवार अतारांकित प्रश्नों की संख्या

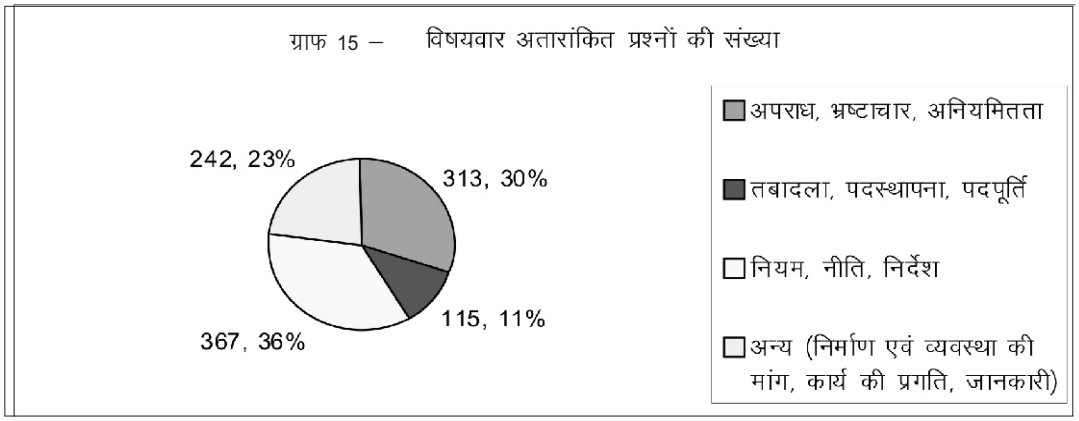

सत्र के कुल ग्राह्य 1037 अतारांकित प्रश्नों में अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता से संबंधी 313 प्रश्न हैं, जो कि अतारांकित प्रश्नों में 30 फीसदी है। तबादला, पदस्थापना, पदपूर्ति से संबंधी 115 प्रश्न (11 फीसदी), नियम, नीति, शासकीय निर्देशों की जानकारी संबंधी 367 प्रश्न (36 फीसदी) एवं अन्य 242 प्रश्न (23 फीसदी) है।

3.16 कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रश्नों की संख्या

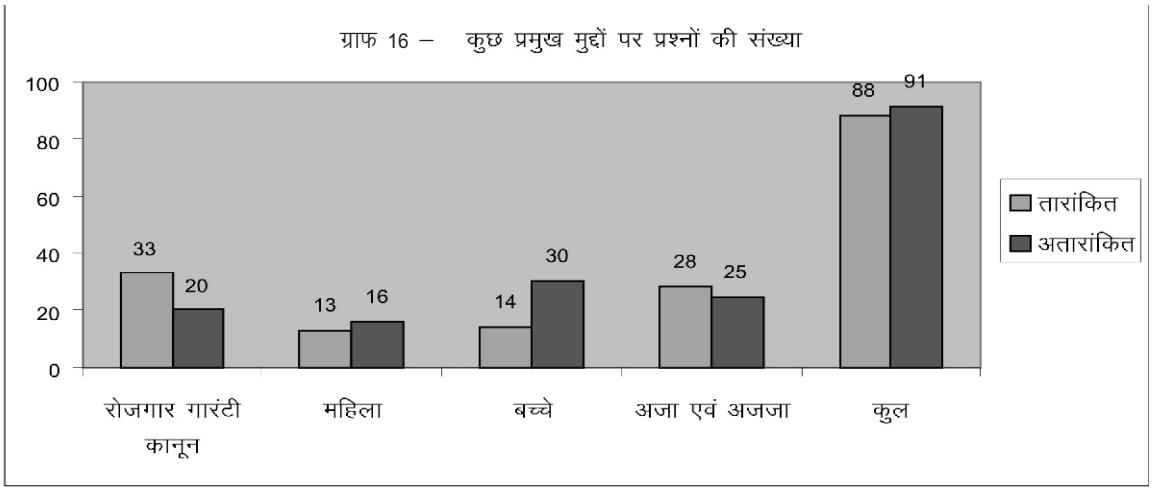

सत्र में पूछे गए 2100 प्रश्नों में कुछ प्रमुख मुद्दों – रोजगार गारंटी कानून, महिला, बच्चे एवं अजा–अजजा पर प्रश्नों की संख्या 179 है, जो कि कुल प्रश्नों का महज 8.5 फीसदी है। रोजगार गारंटी कानून पर कुल 53 प्रश्न (कुल प्रश्न का 2.52 फीसदी और पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग का 38.4 फीसदी), जिसमें 33 तारांकित एवं 20 अतारांकित प्रश्न, महिला मुद्दे पर कुल 29 प्रश्न (कुल प्रश्न का 1.85 फीसदी), जिसमें 13 तारांकित एवं 16 अतारांकित प्रश्न, बच्चों के मुद्दे पर कुल 44 प्रश्न (कुल प्रश्न का 2.09 फीसदी), जिसमें 14 तारांकित एवं 30 अतरांकित प्रश्न और अजा तथा अजजा के मुद्दे पर कुल 53 प्रश्न (कुल प्रश्न का 2.52 फीसदी), जिसमें 28 तारांकित प्रश्न एवं 25 अतारांकित प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग या आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग या स्कूल शिक्षा विभाग के सभी प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है, जो सीधे–सीधे स्पष्ट एवं केंद्रित रूप से महिलाओं, बच्चों एवं अजा व अजजा से जुड़े हुए हैं। इसमें अन्य विभागों जैसे – श्रम विभाग, गृह विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रश्न भी लिए गए हैं, जो इन समूहों एवं रोजगार गारंटी से जुड़े हुए हैं।

3.17 कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रश्न (प्रतिशत में)

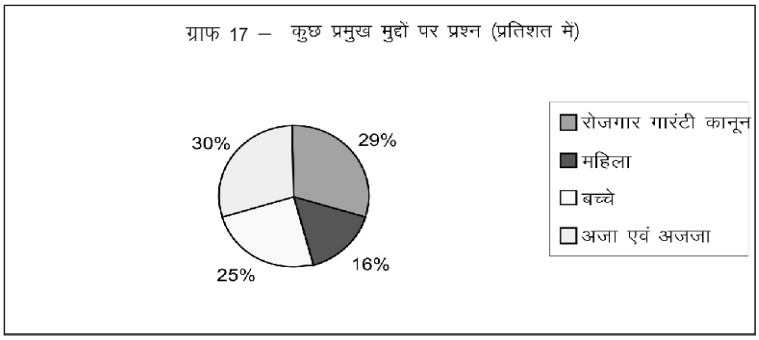

प्रश्नकाल में मुद्दों पर केंद्रित होकर पूछे गए कुल 179 प्रश्नों में 29 फीसदी रोजगार गारंटी कानून से, 16 फीसदी महिलाओं से, 25 फीसदी बच्चों से एवं 30 फीसदी अजा व अजजा से जुड़े हुए हैं।

3.18 रोजगार गारंटी पर प्रश्नों के प्रकार

सत्र में रोजगार गारंटी योजना पर पूछे गए कुल 53 प्रश्नों में 18 प्रश्न (34 फीसदी) भ्रष्टाचार एवं अनियमितता को लेकर, 7 प्रश्न (13 फीसदी) मजदूरों से जुड़े मामले को लेकर, 15 प्रश्न (28 फीसदी) कार्य की स्थिति एवं राशि जारी करने को लेकर एवं 13 प्रश्न (25 फीसदी) नीतिगत मामलों को लेकर पूछे गये हैं।

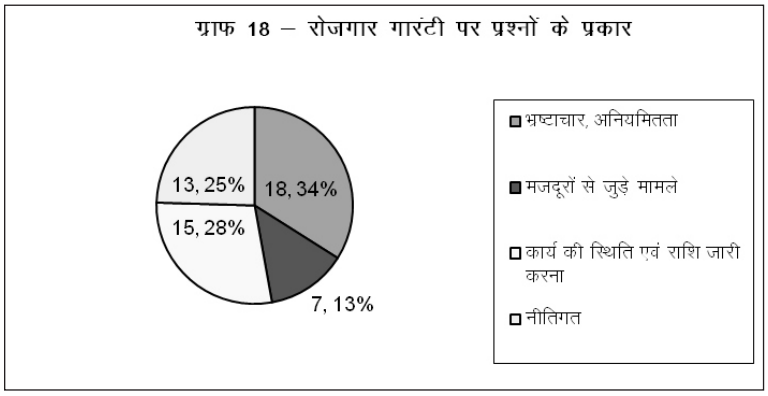

3.19 महिला मुद्दों पर प्रश्नों के प्रकार

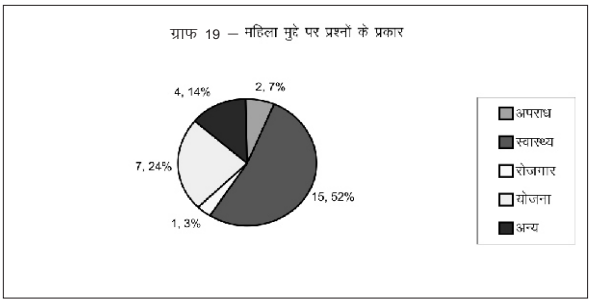

सत्र में महिला मुद्दों पर पूछे गए कुल 39 प्रश्नों में 2 प्रश्न (7 फीसदी) महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर, 15 प्रश्न (52 फीसदी) महिला स्वास्थ्य को लेकर, एक प्रश्न (3 फीसदी) रोजगार से जुड़े, 7 प्रश्न (24 फीसदी), महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लेकर एवं 4 प्रश्न (14 फीसदी) अन्य मामलों को लेकर पूछे गये हैं।

3.20 बच्चों के मुद्दों पर प्रश्नों के प्रकार

बच्चों से जुड़े कुल 44 प्रश्नों में से बाल अपराध को लेकर 2 प्रश्न (5 फीसदी), बाल स्वास्थ्य को लेकर 6 प्रश्न (14 फीसदी), शिक्षा को लेकर 17 प्रश्न (38 फीसदी), बाल श्रम को लेकर एक प्रश्न (2फीसदी), बच्चों से जुड़ी योजनाओं को लेकर 13 प्रश्न (30 फीसदी) एवं बच्चों से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए 5 प्रश्न (11 फीसदी) पूछे गये हैं।

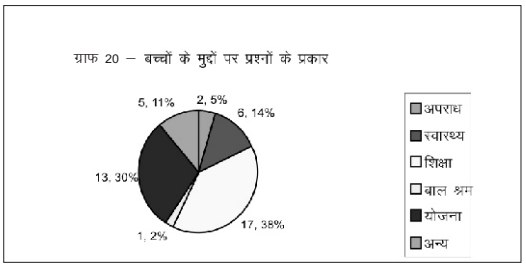

3.21 अजा एवं अजजा के मुद्दे पर प्रश्नों के प्रकार

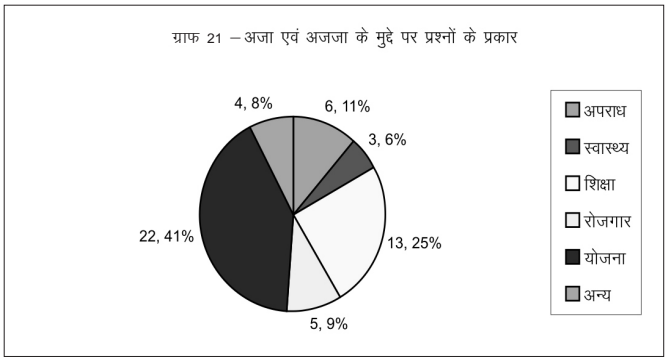

अजा एवं अजजा से जुड़े कुल 44 प्रश्नों में से अजा एवं अजजा के खिलाफ अपराध को लेकर 6 प्रश्न (11 फीसदी), स्वास्थ्य को लेकर 3 प्रश्न (6 फीसदी), शिक्षा को लेकर 13 प्रश्न (25 फीसदी), रोजगार को लेकर 5 प्रश्न (9 फीसदी), अजा एवं अजजा से जुड़ी योजनाओं को लेकर 22 प्रश्न (41 फीसदी) एवं अन्य जानकारियों के लिए 4 प्रश्न (8 फीसदी) पूछे गये हैं।

3.22 स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों से स्वास्थ्य पर पूछे गए सभी प्रश्नों का प्रकार

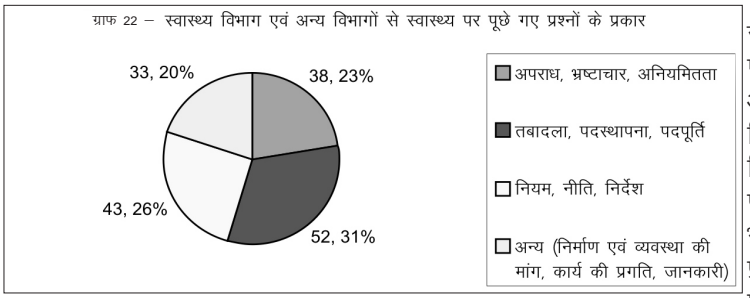

सत्र के दरम्यान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों से भी स्वास्थ्य संबंधी पूछे गए कुल 166 प्रश्नों में अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता से संबंधी 38 प्रश्न (23 फीसदी) हैं, तबादला, पदस्थापना, पदपूर्ति से संबंधी 52 प्रश्न (31 फीसदी), नियम, नीति, शासकीय निर्देशों की जानकारी संबंधी 43 प्रश्न (26 फीसदी) एवं अन्य 33 प्रश्न (20 फीसदी) हैं।

3.23 स्कूल शिक्षा विभाग से पूछे गए प्रश्नों के प्रकार

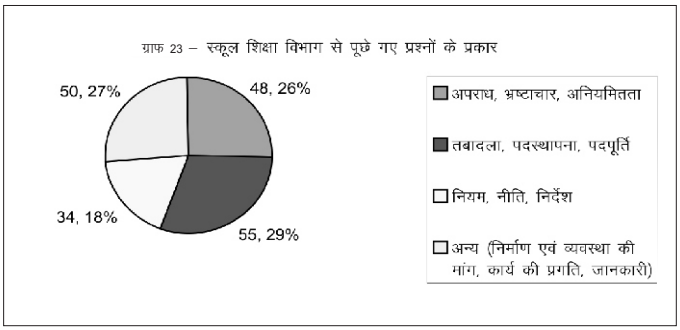

स्कूल शिक्षा विभाग से पूछे गए कुल 187 प्रश्नों में अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता से संबंधी 48 प्रश्न (26 फीसदी) हैं, तबादला, पदस्थापना, पदपूर्ति से संबंधी 55 प्रश्न (29 फीसदी), नियम, नीति, शासकीय निर्देशों की जानकारी संबंधी 34 प्रश्न (18 फीसदी) एवं अन्य 50 प्रश्न (27 फीसदी) हैं। इसमें अन्य विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली स्कूल शिक्षा से संबंधी प्रश्न नहीं लिए गए हैं, वे प्रश्न बच्चों के मुद्दे में शिक्षा वाले भाग में रखे गए हैं।

3.24 उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से पूछे गए प्रश्नों के प्रकार

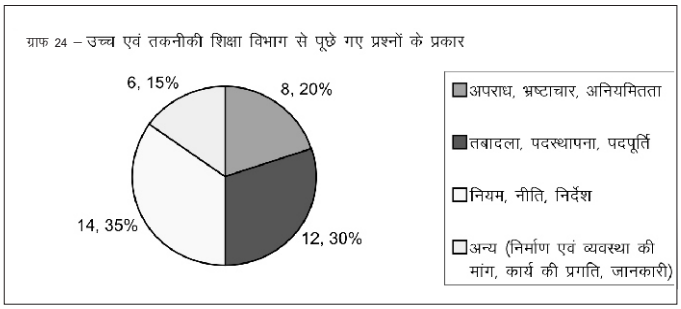

उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से पूछे गए कुल 40 प्रश्नों में अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता से संबंधी 8 प्रश्न (20 फीसदी) हैं, तबादला, पदस्थापना, पदपूर्ति से संबंधी 12 प्रश्न (30 फीसदी), नियम, नीति, शासकीय निर्देशों की जानकारी संबंधी 14 प्रश्न (35 फीसदी) एवं अन्य 6 प्रश्न (15 फीसदी) हैं।

3.25 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से पूछे गए प्रश्नों के प्रकार

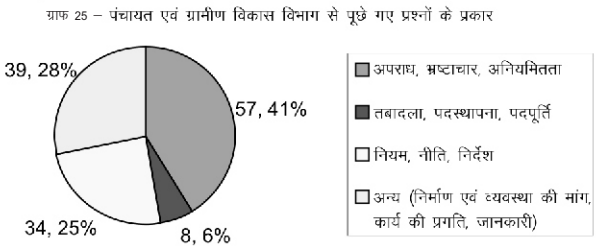

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से पूछे गए कुल 138 प्रश्नों में अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता से संबंधी 57 प्रश्न (41 फीसदी) हैं, तबादला, पदस्थापना, पदपूर्ति से संबंधी 8 प्रश्न (6 फीसदी), नियम, नीति, शासकीय निर्देशों की जानकारी संबंधी 34 प्रश्न (25 फीसदी) एवं अन्य 39 प्रश्न (28 फीसदी) हैं। इसमें रोजगार गारंटी योजना से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।

रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रहे कार्यों की स्थिति एवं राशि जारी करने को लेकर ज्यादा प्रश्न होने से अन्य विषय में ज्यादा प्रश्न दिख रहे हैं। विभाग से पूछे गए भ्रष्टाचार के कुल प्रश्नों में ज्यादातर रोजगार गारंटी योजना से संबंधी रहे हैं।

3.26 महिला एवं बाल विकास विभाग से पूछे गए प्रश्नों के प्रकार

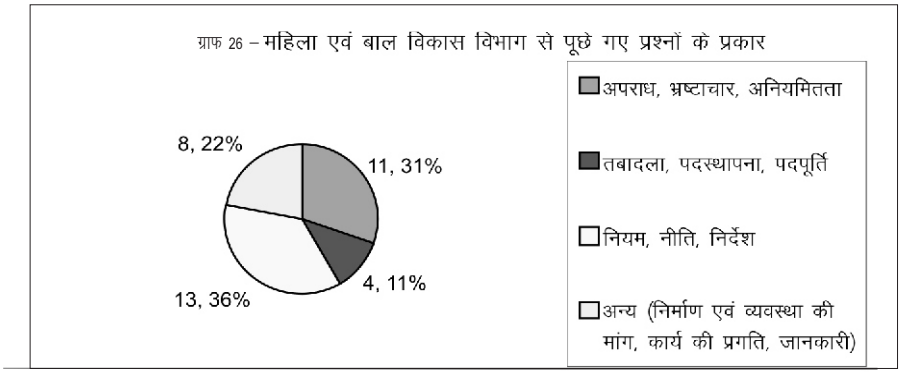

महिला एवं बाल विकास विभाग से पूछे गए कुल 36 प्रश्नों में अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता से संबंधी 11 प्रश्न (31 फीसदी) हैं, तबादला, पदस्थापना, पदपूर्ति से संबंधी 4 प्रश्न (11 फीसदी), नियम, नीति, शासकीय निर्देशों की जानकारी संबंधी 13 प्रश्न (36 फीसदी) एवं अन्य 8 प्रश्न (22 फीसदी) हैं। इसमें अन्य विभागों से महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में पूछे गए प्रश्नों को नहीं जोड़ा गया है, बल्कि उन प्रश्नों को बच्चों के मुद्दे एवं महिलाओं के मुद्दे वाले श्रेणी में रखकर विश्लेषण किया गया है।

अध्याय–4 निष्कर्ष

- प्रश्न नहीं करने वाले सदस्यों की संख्या 48 है, जो कुल सदस्यों का लगभग 25 फीसदी (अध्यक्ष, मंत्रियों, मनोनित सदस्य एवं नवनिर्वाचित सदस्य को छोड़कर) है। इसमें भाजपा के 39, कांग्रेस के 7, बसपा के एक एवं निर्दलीय एक सदस्य हैं। प्रश्न नहीं करने वाले सदस्यों में सबसे ज्यादा भाजपा के सदस्य हैं, जबकि विधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है।
- विधान सभा में अजा एवं अजजा सीट से निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 35 फीसदी है, पर प्रश्न नहीं करने वाले कुल सदस्यों में से आरक्षित सीटों से निर्वाचित सदस्य लगभग 48 फीसदी हैं। प्रश्न नहीं करने वाले सदस्यों में आरक्षित सीटों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या अनुपातिक रूप से ज्यादा है।
- प्रश्न नहीं करने वाले कुल 48 सदस्यों में से 6 सदस्य महिला हैं। 3 अजजा, एक अजा एवं एक अनारक्षित सीट से निर्वाचित महिला सदस्य ने प्रश्न नहीं किया। भाजपा की 5 एवं कांग्रेस की एक महिला सदस्य ने प्रश्न नहीं किया।
- 10 की संख्या तक प्रश्न करने वाले सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा 64 हैं, जिनका प्रतिशत 32 है। 42 सदस्यों ने 11 से 20 की संख्या में प्रश्न किए, जो 22 फीसदी हैं। 21 से 30 प्रश्न करने वाले 21 हैं, जो 11 फीसदी हैं। 19 सदस्यों ने 30 से ज्यादा प्रश्न किए, जो प्रश्न करने वाले कुल सदस्यों में 10 फीसदी हैं। ज्यादा प्रश्न करने वाले सदस्यों की संख्या बहुत ही कम है। 30 एवं उससे ज्यादा प्रश्न करने वाले सदस्यों में कांग्रेस के सबसे ज्यादा 13 सदस्य हैं, जो ज्यादा प्रश्न करने वाले कुल सदस्यों का 61 फीसदी है।
- सबसे ज्यादा 37 प्रश्न भाजपा सदस्य विश्वास सारंग ने किए। भाजपा के सदस्य भगत सिंह नेताम ने 36 प्रश्न एवं कांग्रेस के डॉ. प्रभुराम चौधरी ने भी 36 प्रश्न किए। भाजपा के अरविंद सिंह भदौरिया, कांग्रेस के आरिफ अकील एवं कांग्रेस के महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने 35–35 सवाल किए।
- स्कूल शिक्षा विभाग से सबसे ज्यादा 187 प्रश्न किए गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रश्न करने वाले 10 विभागों के कुल प्रश्नों का प्रश्नों का 16 फीसदी है। इसके बाद राजस्व विभाग से 164 प्रश्न (लगभगर 13 फीसदी), नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से 150 प्रश्न, लोक निर्माण विभाग से 147 प्रश्न, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से 138 प्रश्न, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से 133 प्रश्न, कृषि कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से 104, जल संसाधन विभाग से 96, ऊर्जा विभाग से 83 एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से 82 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न किए जाने वाले 10 विभागों में महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल नहीं हैं।
- जैव विविधता विभाग, संसदीय कार्य विभाग, पुनर्वास विभाग सार्वजनिक उपक्रम विभाग और नवीन एवं नवनीकरण ऊर्जा विभाग से एक भी प्रश्न नहीं किया गया है। विमानन विभाग से एक प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग से एक प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से एक प्रश्न, जनसंपर्क विभाग से 3 प्रश्न और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग से 4 प्रश्न किए गए हैं।
- सबसे ज्यादा 34 फीसदी प्रश्न अपराध, भ्रष्टाचार, अनियमितता से संबंधित हैं। 216 प्रश्न तबादला, पदस्थापना, पदपूर्ति से और नियम, नीति, निर्माण, शासकीय निर्देश से संबंधित 713 प्रश्न एवं अन्य 465 प्रश्न हैं।
- कुल प्रश्नों में से 49 फीसदी प्रश्न कांग्रेस ने किए हैं। कांग्रेस सदस्यों द्वारा 1029 प्रश्न किए गए हैं, जबकि सदन में उनकी संख्या महज 33 फीसदी (अध्यक्ष, मंत्रियों एवं मनोनित सदस्यों को छोड़कर) है। भाजपा सदस्यों ने कुल किए गए प्रश्नों में 833 प्रश्न (40फीसदी) किए हैं, जबकि सदन में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है।

- महिला सदस्यों ने कुल 180 प्रश्न किए हैं, जो कि कुल प्रश्नों का 9 फीसदी है।
- आरक्षित सीटों से निर्वाचित सदस्यों में अनूसूचित जाति वर्ग के सदस्यों ने 263 प्रश्न किए है, जो कि कुल प्रश्नों का लगभग 13 फीसदी है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों ने 276 प्रश्न किए है, जो कि कुल प्रश्नों का लगभग 13 फीसदी है। आरक्षित वर्ग से निर्वाचित सदस्यों का प्रतिशत 35 है, जबकि उनके द्वारा किए गए कुल प्रश्नों का प्रतिशत 25 है।
- संभागवार पूछे गए प्रश्नों में सबसे ज्यादा 335 प्रश्न (17 फीसदी) जबलपुर संभाग से पूछे गए हैं। जबलपुर संभाग में 36 विधान सभा क्षेत्र हैं, यानी इस संभाग से प्रति विधान सभा क्षेत्र 9.30 प्रश्न किये गये। पर प्रति विधान सभा क्षेत्र से किए गए औसत प्रश्नों को देखा जाए, तो सबसे ज्यादा प्रश्न चंबल संभाग से किये गये। चंबल संभाग में 13 सीट है एवं 198 प्रश्न पूछे गए, जो प्रति विधान सभा 15.23 प्रश्न होते हैं। शहडोल संभाग में 10 विधान सभा क्षेत्र हैं, पर यहां से महज 9 प्रश्न ही पूछे गए हैं। रीवा एवं नर्मदापुरम् संभाग से भी सीटों की तुलना में औसतन कम प्रश्न पूछे गए हैं।
- प्रश्नों में मांगी गई जानकारी के आधार पर 826 प्रश्नों (39 फीसदी) का दायरा जिला स्तर से नीचे का है, 819 प्रश्नों (39 फीसदी) का दायरा जिला स्तर का है, 96 प्रश्नों (5 फीसदी) का दायरा जिला से ऊपर एवं राज्य स्तर से नीचे का है और 359 प्रश्नों (17 फीसदी) का दायरा राज्य स्तर का है।
- 2100 प्रश्नों में से शासन की ओर से 109 प्रश्नों (5 फीसदी) में ''जानकारी एकत्र की जा रही है'' जवाब आया है। 8 प्रश्नों के जवाब में आधे भाग का जवाब आया है एवं आधे भाग के लिए ''जानकारी एकत्र की जा रही है'' जवाब है। 1983 प्रश्नों (95 फीसदी) का पूर्ण जवाब आया है।
- 2100 प्रश्नों में रोजगार गारंटी कानून पर कुल 53 प्रश्न (कुल प्रश्न का 2.52 फीसदी और पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग का 38.4 फीसदी), महिला मुद्दे पर कुल 29 प्रश्न (कुल प्रश्न का 1.85 फीसदी), बच्चों के मुद्दे पर कुल 44 प्रश्न (कुल प्रश्न का 2.09 फीसदी) और अजा तथा अजजा के मुद्दे पर कुल 53 प्रश्न (कुल प्रश्न का 2.52 फीसदी) पूछे गए हैं।
- रोजगार गारंटी योजना पर पूछे गए कुल 53 प्रश्नों में 34 फीसदी भ्रष्टाचार एवं अनियमितता को लेकर, 13 फीसदी मजदूरों से जुड़े मामले को लेकर, 28 फीसदी कार्य की स्थिति एवं राशि जारी करने को लेकर एवं 25 फीसदी प्रश्न नीतिगत मामलों को लेकर पूछे गए हैं।
- महिला मुद्दों पर महज 39 प्रश्न पूछे गए हैं। 7 फीसदी महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर, 52 फीसदी महिला स्वास्थ्य को लेकर, 3 फीसदी रोजगार से जुड़े हुए, 24 फीसदी महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लेकर एवं 14 फीसदी अन्य मामलों को लेकर प्रश्न किए गए हैं।
- बच्चों से जुड़े कुल 44 प्रश्नों में से बाल अपराध को लेकर 5 फीसदी, बाल स्वास्थ्य को लेकर 14 फीसदी, शिक्षा को लेकर 38 फीसदी, बाल श्रम को लेकर 2 फीसदी, बच्चों से जुड़ी योजनाओं को लेकर 30 फीसदी एवं अन्य जानकारियों के लिए 11 फीसदी प्रश्न किए गए हैं।
- अजा एवं अजजा से जुड़े कुल 44 प्रश्नों में से अजा एवं अजजा के खिलाफ अपराध को लेकर 11 फीसदी, स्वास्थ्य को लेकर 6 फीसदी, शिक्षा को लेकर 25 फीसदी, रोजगार को लेकर 9 फीसदी, अजा एवं अजजा से जुड़ी योजनाओं को लेकर 41 फीसदी एवं अन्य जानकारियों के लिए 8 फीसदी प्रश्न पूछे गए हैं।

———

संदर्भ

- प्रश्नोत्तर–सूची (जुलाई 2011 सत्र), मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
- बसु, दुर्गादास (1995), भारत का संविधान – एक परिचय, प्रेंटिस–हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।
- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन संबंधी नियम (2008), मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
- मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश (2003), मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
- शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, प्रश्नकाल से शून्यकाल, संदर्भ एवं अनुसंधान शाखा, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
- सदस्य–सूची (2011), मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
- हरदेनिया, लज्जाशंकर, संसदीय रिपोर्टिंग, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
- http://mpvidhansabha.nic.in/, Viewed on 15 to 25 March, 2012.

About National Social Watch

National Social Watch (NSW) is the national secretariat of the National Social Watch Coalition (NSWC), which is a broad based network of civil society organizations and citizens. The Social Watch process intends to analyze the performance of the institutions of governance, their commitment towards citizens, and their practice of democratic values. The major objectives of NSW are:

a. To become a key agenda setter for the government
b. To redefine the politics of knowledge and usher in new dynamics in the processes and quality of governance
c. To ensure the centrality of people at various levels - national, state, and village, in the processes of governance

The major functions of NSW are: (1) Research, (2) Advocacy, and (3) Networking. Under Research, NSW conducts rigorous research with major focus on 'institutions of governance'. NSW brings out its research in the form of annual citizen's reports, perspective papers, focus papers, and research briefs. Under Advocacy, apart from dissemination of its research output through web-posting and publication, NSW regularly organizes policy dialogues and an annual grand release function of the citizen's report. Apart from national level releases, NSW also organizes state level dissemination workshops in select states, every year. Under Networking, it partners with likeminded national resource organizations, promotes and supports state level social watch coalitions, and collaborates with the International Social Watch, commonly known as Social Watch. Today the NSWC has 8 national coalition partners and has state coalitions partners in 15 states viz. Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, and Rajasthan. State coalitions prepare the state level social watch reports and lead the state level discourses on the issues related to governance and social development. More about NSW can be seen at www.socialwatchindia.net and NSW can be reached through www.socialwatchindia.net and NSW can be reached through info@socialwatchindia.net.